भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1937
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एटीएफ की कीमत में कमी का विमान किराए पर प्रभाव

1937. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में कमी और घरेलू एयरलाइनों के परिचालन लागत पर इसके प्रभाव को संज्ञान में लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आकलन किया है कि एटीएफ की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप घरेलू विमान किराए और एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) में तदनुरूपी कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कम विमान किराए और सहायक शुल्कों के माध्यम से यात्रियों को एटीएफ की कीमतों में कमी का लाभ पहुंचाने (पास-थ्रू) की निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश या एक ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करने का है कि कम एटीएफ कीमतों का लाभ विशेषकर उच्च मांग वाले घरेलू मार्गों पर विमान किराए में उचित रूप से दिखाई दे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एटीएफ पर करों के युक्तिकरण, विमानपत्तन शुल्क, उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ), विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) और विमान किराए के अन्य घटकों सहित घरेलू विमान यात्रा की लागत को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ) : एयरलाइनों की परिचालन लागतें गतिशील प्रकृति की होती हैं और उनके अलग-अलग घटक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत, विदेशी विनिमय दरें, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट), पट्टा किराया आदि जैसे विविध कारकों के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। एयरलाइनों के कुल परिचालन व्यय का 35% से 40% भाग अकेले एटीएफ का होता है।

पश्चिमी एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनावों ने एटीएफ कीमतों को काफी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वाहकों द्वारा मार्च, 2026 के मध्य में ईंधन अधिभार की शुरुआत की गई। एयरलाइनों द्वारा मार्च, 2026 में ईंधन अधिभार शुरू किया गया था और उड़ान दूरी के आधार पर अप्रैल 2026 में संशोधित किया गया था।

सरकार ने विमानन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने में मदद करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें पश्चिमी एशिया संकट से होने वाली अपवादात्मक ईंधन कीमत अस्थिरता के कारण अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों को विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) कीमत स्थिरीकरण सहायता प्रदान करने के लिए तेल विपणन कंपनियों

(ओएमसी) को एकबारगी बजटीय समर्थन शामिल है जो 10,000/- करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

घरेलू परिचालनों के लिए, अप्रैल एवं मई, 2026 के महीनों के लिए एटीएफ कीमतें 01 मार्च, 2026 के आधार मूल्य पर अधिकतम 25% की वृद्धि पर सीमित की गईं थीं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुईं।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एटीएफ पर उच्च वैट के मुद्दे को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सितंबर 2021 से एटीएफ पर वैट कम कर दिया है। हाल ही में, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए एटीएफ पर वैट को घटा कर क्रमशः 18% से 7% और 25% से 7% कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में स्थापित टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) ने 72 घरेलू सेक्टरों पर एयरलाइनों द्वारा उड़ान दूरी-वार एटीएफ अधिभार लागू होना सुनिश्चित किया है।

प्रमुख हवाईअड्डों पर घरेलू परिचालनों के लिए हवाईअड्डा लैंडिंग और पार्किंग प्रभार में आंशिक आस्थगन के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाईअड्डों पर ऐसे प्रभारों में 25% की छूट।

सरकार हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ अन्य सक्रिय कदम भी उठा रही है, जैसे ब्याज दरों और पट्टा किराया को कम करने के लिए विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 का अधिनियमन, एमआरओ घटकों और अनुबंधों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना।
